कार्यालय अस्पताल अधीक्षक,

चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय, कचान्दुर, दुर्ग (छ.ग)

ई–मेल :– ccmgmchdurg@gmail.com

क्रमांक / रखरखाव / CCMGMCH / 2023 / 2712 दुर्ग, दिनांक 06 / 12 / 2023

कोटेशन सूचना

Quotation Notice

विषयः– चिकित्सालय के विभिन्न विभागों में स्थापित 10 नग वेन्टिलेटर का व्यापक रखरखाव / मरम्मत तथा वार्षिक रखरखाव अनुबंध (ए.एम.सी. / सी.एम.सी.) हेतु सिमित निविदा के संबंध में।

===XX===

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय कचान्दुर दुर्ग (छ.ग.) में विभिन्नि विभागों में स्थापित 10 नग वेन्टिलेटर का व्यापक रखरखाव / मरम्मत एवं वार्षिक रखरखाव अनुबंध (ए.एम.सी. / सी.एम.सी.) हेतु सिमित निविदा आमंत्रित किया जाता है, जिसके लिये निम्नलिखित प्रारूप में ही कोटेशन प्रस्तुत करेः–

क्रमांक	निर्माता फर्म / प्रदाता फर्म का नाम	Equipment Name	S.No.	व्यापक रखरखाव / मरम्मत हेतु दर प्रति नग (कर सहित)	वार्षिक रखरखाव दर प्रति नग (कर सहित)	पार्टस के दर का विवरण प्रति नग (कर सहित)
01	PM CARES Manufactured by Bharat Electronics Ltd. under license from Skanray Technologies Pvt. Ltd.	Ventilator System (Bharat Electronics) Model No.- CV 200	BVACV08402, BVACV04108, BVACV08446, BVACV03950, BVACV13072, BVACV12313, BVACV12708, BVACV02838, BVACV03635, & BVACV11557,			

चिकित्सालय में वेन्टिलेटर मशीनों के वार्षिक रखरखाव अनुबंध हेतु नियम एवं शर्तें :–

1. प्रस्ताव के प्राप्त दर की वैधता एक वर्ष तक रहेगी जिस हेतु 100 रू. नॉन जूडिशयल स्टॉम्प पेपर में अनुबंध किया जायेगा। अनुबंध दिनांक से प्रस्ताव एक वर्ष के लिए मान्य होगी।
2. कोटेशन में दर के साथ जी.एस.टी. या कोई अन्य टैक्स हो तो सम्मिलित कर उल्लेख करे। दर अंको एवं शब्दो दोनो में अंकित की जानी चाहिए।
3. रखरखाव हेतु चिकित्सालय में भौतिक निरीक्षण स्वयं कर दर प्रस्तुत करें।
   " जहाँ है जैसा है" के शर्त पर रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित है।
4. वार्षिक रखरखाव अनुबंध (ए.एम.सी.) का दर मशीनो की वर्तमान स्थिती को देखकर ही उल्लेखित करें।
5. आपातकालीन स्थिति (दूरभाष) पर बुलाये जाने पर 24 घंटे के भीतर सर्विस देना अनिवार्य होगा।
6. रखरखाव का कार्य संतोष प्रद होने पर समान शर्ते एवं दरो पर वैधता बढ़ाई जा सकती है।
7. किसी भी प्रस्ताव को स्वीकृत अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संम्बद्ध चिकित्सालय कचान्दुर दुर्ग (छ.ग.) को होगा, जिसका कारण बताने के लिये कार्यालय बाध्य नहीं है।

क्रमशः.........02

8. उक्त कार्य हेतु निर्माता/अधिकृत पंजीकृत अनुभवी फर्म अथवा सर्विस प्रोवाईडर उक्त प्रस्ताव में शामिल हो सकते है।
9. सेवा प्रदाय किये जाने के उपरांत सर्विस रिर्पोट प्रदाय करनी होगी जो वार्डो/विभागों के विभागाध्यक्ष द्वारा सत्यापित कराकर प्रस्तुत करें।
10. अनुशांसित किये गये फर्म को आदेश जारी होने के उपरांत ....00 रू. सुरक्षा निधी के रूप में एफ.डी.आर. युक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संम्बद्ध चिकित्सालय कचान्दुर दुर्ग (छ.ग.). के नाम से प्रस्तुत करना होगा।
11. चिकित्सालय की मशीनों_का वार्षिक रखरखाव अनुबंध (ए.एम.सी./सी.एम.सी.) प्रदाय की गई सर्विस दर शामिल होगी। वार्षिक रखरखाव का भुगतान 06–06 माह की अवधि में किया जायेगा, प्रथम भुगतान वार्षिक रखरखाव के 06 माह पूर्ण करने के पश्चात् एवं अंतिम भुगतान 01 वर्ष सफलतापूर्वक सेवा प्रदाय किये जाने के पश्चात् किया जायेगा। यदि वार्षिक रखरखाव संतोष प्रद नहीं किये जाने की स्थिती में आदेश निरस्त कर एफ.डी.आर. की राशि राजसात किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
12. समस्त क्रय/रखरखाव कार्य की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 अथवा प्रचलित शासन के भंडार क्रय नियम/ शासकीय नियम के अनुसार शासित होंगे।
13. वार्षिक रखरखाव की आदेश में वर्णित मशीनों की संख्या कमी या वृद्धि की जा सकती है। दर्शित संख्या अनुमानित है। शर्तो के पालन नहीं किये जाने की स्थिति में या किसी भी विवाद की स्थिती में आदेश निरस्त किया जा सकता है एवं नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती। है।
14. राज्य शासन या उसके किसी भी विभाग द्वारा किसी भी फर्म को काली सूची (ब्लैक लिस्टेड) में डाली जाने वाली फर्म मान्य नही होगी। उक्त संबंध में उन्हे शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त कार्य अत्याधिक मानक और बेहतर गुणवत्ता का होना चाहिए।
15. आपके द्वारा प्रदाय की गई समस्त जानकारी सत्य है एवं मुझे आपके सभी नियम एवं शर्ते मान्य है के संबंध में आपके एक नॉन जूडिश्यल स्टॉम्प पेपर में शपथ पत्र प्रस्तत करना होगा।

अतः उपरोक्तानुसार कोटेशन दर मुहरबंद लिफाफे में जारी दिनांक से 15 दिवस के भीतर शाम 5:00 बजे तक जमा करने की व्यवस्था करें। विलंब से प्राप्त कोटेशन मान्य नहीं की जावेगी।

6.12.23

संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक
चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
सम्बद्ध चिकित्सालय, कचांदूर, दुर्ग (छ.ग.)

क्रमांक/रखरखाव /CCMGMCH/2023/ दुर्ग, दिनांक / /2023

प्रतिलिपिः–

अधिष्ठाता, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदूर, जिला–दुर्ग (छ.ग) की ओर सादर सूचनार्थ।

संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक
चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
सम्बद्ध चिकित्सालय, कचांदूर, दुर्ग (छ.ग.)